न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/45/2020	2020/00104	10/08/2020	14.06.2022

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरिये अधि0 श्री संजीव वर्मा, कार्यालय लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005 एवं शाखा कार्यालय बी 294-295 जी मंगलम हाउस, रीको चौक, भिवाड़ी (राज0) 301019

–प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. मैसर्स एस.आर.वाल्वज प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री राजीव मैनी, निवासी– जी 1–1211 (बी), रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज VI रामपुर मुंडाना, स्कीपर कम्पनी यूनिट–3 के पास, भिवाड़ी (राजस्थान)–301019
2. श्री राजिव मैनी पुत्र श्री डी.पी. मैनी, निवासी ए–2/10, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063
3. श्रीमती स्वाति मैनी पत्नि श्री राजीव मैनी, निवासी ए–2/10, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063

–अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 06.06.2012 को कुल ऋण 40,00,000/–रूपये (Rupees Forty Lakh Only) जो दिनांक 12.06.2019 को Total Aggregating Loan Amount Rs. (ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज) सहित कुल 10,08,646.88/–रूपये (Rupees Ten Lakh Eight Thousand Six Hundred Forty Six Rupee And Eighty Eight Paisa Only) है, की अदायगी नही की गई एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त है। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पति **"जी 1–1211 (बी), रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज VI रामपुर मुंडाना, स्कीपर कम्पनी यूनिट–3 के पास, भिवाड़ी (राजस्थान) है, जिसका माप लगभग 1058 वर्गमीटर"** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त **"जी 1–1211 (बी), रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज VI रामपुर मुंडाना, स्कीपर कम्पनी यूनिट–3 के पास, भिवाड़ी (राजस्थान) है, जिसका माप लगभग 1058 वर्गमीटर"** को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:-

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज०)